न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018-00302RAAJu2018-122RTA223 Shrawanram Vs Kaluram etc

श्रवणराम पुत्र नाथुराम मेघवाल
निवासी ग्राम नेतडा, तहसील बावडी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. कालूराम पुत्र गेपरराम मेघवाल
2. बंशीलाल पुत्र दुर्गाराम के कायममुकामान--
   - **a.** पांचाराम पुत्र बंशीलाल मेघवाल
   - **b.** रेखा पुत्री बंशीलाल मेघवाल
   - **c.** किरण पुत्री बंशीलाल मेघवाल
   - **d.** धापु पुत्री बंशीलाल मेघवाल
   - **e.** मूमल पत्नी बंशीलाल मेघवाल
3. अणची पत्नी दुर्गाराम मेघवाल
4. गोबरराम पुत्र गंगाराम मेघवाल
5. नरसिंगाराम पुत्र ढगलाराम मेघवाल
6. बीरमाराम पुत्र ढगलाराम मेघवाल
7. गणेशराम पुत्र ढगलाराम मेघवाल
8. चुकीदेवी पत्नी ढगलाराम मेघवाल
9. हीरा पुत्री ढगलाराम पत्नी जगदीश मेघवाल
10. धापू पुत्री ढगलाराम मेघवाल
11. पूजा पुत्री ढगलाराम मेघवाल
12. बाबूराम पुत्र रामुराम मेघवाल
13. गोपाराम पुत्र रामुराम मेघवाल

निवासीगण ग्राम नेतडा, तहसील बावडी
जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बावडी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 25 जून 2018 राजस्व वाद संख्या
322/2010 कालूराम बनाम बंशीलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री ओ.पी.विश्नोई अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 12 व 13
श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2/5 से 6 व 8 से 11

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर बावडी (लोक अदालत कैम्प नेतडा) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 322/2010 कालूराम बनाम बंशीलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25 जून 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 516 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 416/2 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 526 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 611 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

612 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 613 रकबा 12 बीघा, खसरा संख्या 615 रकबा 53 बीघा 09 बिस्वा तथा गैरमुमकिन बेरा खसरा संख्या 617/3 रकबा 01 बिस्वा वाके मौजा नेतडा तहसील ओसियां वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 13 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना जाहिर करते हुए पेश किया और जाहिर किया कि उक्त आराजियात वादी-रेस्पो. संख्या एक तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 02 से 13 के पूर्वज किस्तुरजी तथा उनकी धर्मपत्नी का देहान्त हो जाने के बाद उनके विधिक उत्तराधिककाकरीगण गेपरराम, गंगाराम, दुर्गाराम व रामुराम को विरासत में ¼-¼ हिस्सा प्राप्त हुई, वादी-रेस्पो. संख्या एक अपने पिता गेपरराम की एकमात्र संतान है, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो के उत्तराधिकारी एवं प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या तीन दुर्गाराम के विधिक वारिसान है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार गंगाराम का उत्तराधिकारी है। बकाया प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 5 से 13 रामुराम के विधिक वारिसान है। जिनका वादग्रस्त आराजियात में अपने-अपने हिस्से अनुसार कब्जा-काश्त है। वादी-रेस्पो. संख्या एक ने अपने वादपत्र में यह भी जाहिर किया कि मूल-खातेदार किस्तुरराम के देहान्त के बाद उनकी उक्त खातेदारी आराजियात बाबत उनके चारों पुत्रों गेपरराम, गंगाराम, दुर्गाराम व रामुराम के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाना चाहिये, मगर अशिक्षा, ग्रामीण परिवेश एवं भोली मानसिकता के कारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पिता का नाम दर्ज नहीं हो पाया, मगर मौके पर कब्जा बदस्तूर बना रहा। अब धीरे-धीरे कृषि भूमियों की कीमतें बढने लगी तो प्रतिवादीगण-रेस्पो. ने वादी-रेस्पो.संख्या एक के हितों की खिलाफत आरम्भ कर दी और 11 मार्च 2008 को वादग्रस्त आराजी का काफी हिस्सा अन्य व्यक्तियों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख बेचान भी कर दिया है और अन्य बची भूमि भी बेचान करने पर आमादा है। 30 अप्रेल 2008 को वादी-रेस्पो. संख्या एक खरीफ की काश्त की तैयारी हेतु खसरा संख्या 516 में अपने हिस्से की भूमि पर अनावश्यक झाडियों आदि की कटाई का कार्य कर रहा था, तो प्रतिवादीगण-रेस्पो. गोबरराम व बंशीलाल उसके पास आये एवं उक्त कार्य बाधा उत्पन्न करने लगे। इन परिस्थितियों में आलौच्य वाद प्रस्तुत करना पडा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 25 जून 2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व कैम्प नेतडा में पक्षकारान उपस्थित हुए और प्रतिवादीगण की ओर से वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा चाही गयी इस्तदुआ अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादी-रेस्पो. संख्या एक को सहखातेदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 जून 2018 पारित करते हुए वादी-रेस्पो. संख्या एक का दावा स्वीकार किया गया जिसके खिलाफ अपीलाण्ट की ओर से आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजीनामा बाबत कोई लिखित मजमून नहीं है, मात्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 25 जून 2008 का निर्णय मात्र है। खसरा संख्या 611 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 612 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 613 रकबा 12 बिस्वा का सम्पूर्ण रकबा अपीलाण्ट द्वारा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 18 फरवरी 2014 को कय किया हुआ है और इस कारण वह उक्त खसरा की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। वादग्रस्त आराजी कभी भी पुश्तैनी भूमि नहीं रही, रेस्पो. के पूर्वज किस्तुरजी का नाम राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी बाबत कभी दर्ज ही नहीं रहा। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की स्वार्जित भूमि रही है। उक्त आराजियात बेचान करने के बाद प्रतिवादीगण-रेस्पो. उक्त आराजियात के स्वामी नहीं रहे, अतः उन्हें उक्त आराजियात बाबत कोई राजीनामा करने का भी अधिकार नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही पारित कर दिये गये, मामले में न तो कोई दस्तावेज प्रदर्श हुए, न कोई तनकियात कायम की गयी और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पूर्व ही प्रतिवादी बंशीलाल का देहान्त हो चुका था, मगर उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित कर दिये गये, इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

जबाब में रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादी-रेस्पो. का दावा वादग्रस्त आराजियात में अपने पिता के ¼ हिस्से बाबत था, वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार किस्तुरजी के चार पुत्रों में से एक पुत्र गेपरराम का नाम किस्तुरजी के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी की कृषि भूमियों बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ, जबकि मौके पर कब्जा किस्तुरजी के चारों पुत्रों का कायम रहा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व रिकार्ड में रही अनियमितता की जानकारी होते ही वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15 मई 2008 को दर्ज हुआ, अपीलाण्ट के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख 18 फरवरी 2014 को दौराने दावा निष्पादित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन रहने के दौरान पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया गया। वादी-रेस्पो. संख्या एक का वादग्रस्त आराजियात में ¼ हिस्सा विरासत के आधार पर बनता है, उसके द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3 से 6, 8 से 11 व 2(e) का कथन है कि कोई राजीनामा तस्दीक नहीं है एवं एक पत्र पर 6-7 पक्षकारान के संयुक्त बयान लिये गये । वादपत्र में भी बेचान के तथ्य का उल्लेख किया गया है, मगर केताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अधिवक्ता-रेस्पो.संख्या 12 का कथन है कि वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। मात्र सहखातेदार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। उसका हक-हिस्सा प्रभावित नहीं हो रहा है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अपील स्तर पर अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी संवत 2061-2064 ग्राम नेतडा खाता संख्या 390(पुराना 401) के अवलोकन से पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात में से खसरा संख्या 526 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा में बाबुराम गोपाराम पिसरान रामुराम के स्थान पर श्रवणराम पि. नाथुराम मेघवाल के नाम म्युटेशन संख्या 3130 दिनांक 05 मार्च 2014 बेचान के हवाले से दर्ज है। इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दस्तावेज में म्येटेशन संख्या 3136 दिनांक 05 अप्रेल 2014 के हवाले से खसरा संख्या 611, 612 व 613 कुल रकबा 36 बीघा 05 बिस्वा में से नरसींगराम, बिरमराम, गणेशराम पिसरान ढगलाराम हीरा, धापू, पूजा पुत्रिया ढगलाराम द्वारा बेचान करने पर श्रवणराम पुत्र नाथुराम 1/9 के नाम दर्ज किया जाना टिप्पणी के कॉलम में दर्ज है। संबद्ध पंजीबद्ध विकय विलेखों की छायाप्रतियॉ भी अपील-मीमों के साथ प्रस्तुत की गयी है। इससे अपील मीमों के साथ अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत "अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने" में वर्णित इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से भूमि कय की गयी है और इस वजह से वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट के हित निहित होकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से वह प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात में अपना ¼ हिस्सा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने के आधार पर क्लेम किया है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा इस आधार खण्डन किया जा रहा है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी नहीं है और कभी भी किस्तुरजी की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत का अवलोकन करने पर विदित होता है कि--

1. जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम नेतडा तहसील ओसियां संवत 2014 से 2017 तक में खाता संख्या 32 खातेदार किस्तुर वल्द रूपा व रूपा वल्द बुधा कौम भांबी साकिन देह बराबर ½ अमरसिंह व रूगनाथ पिसरान गुमानसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजपूत साकिन जोधपुर ½ के नाम खसरा संख्या 615 रकबा 53 बीघा 09 बीघा व खसरा संख्या 617 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा दर्ज है।

2. जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम नेतडा संवत 2028 से 2031 में गंगीया, रामुडा, हुरया पि. किस्तुरा, रामु, जसिया पि. रुपा भांबी 1/2 हिस्सा, अमरसिंह, रुगनाथ पि. गुमानसिंह 1/2 हि, राजपूत साकिन देह के नाम खसरा संख्या 617/2 रकबा 53 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा संख्या 617/3 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा दर्ज है। मगर वाद में उक्त आराजियात में से **खसरा संख्या 617/2 का उल्लेख ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2061-2064 ग्राम नेतडा के खाता संख्या 750 में खसरा संख्या 609 रका 31 बीघा 03 बिस्वा के संबंध में भी, जो गेपरराम के नाम दर्ज हुई, दावे में कोई कथन नहीं किया गया, जिससे जाहिर होता है कि वादी सद्भावनापूर्वक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया ।**

3. जमाबंदी संवत 2041-2044 में खसरा संख्या 615 रकबा 53 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा संख्या 617/3 रकबा 01 बिस्वा गैरमुमकिन बेरा बंशीराम, कोजाराम पिसरान दुरगाराम, गंगाराम पुत्र किस्तुरराम, ढगलाराम, बाबूराम, गोपालराम पिसरान रामुराम, लिछमणराम, कंवराराम, ओमाराम पिसरान रामुराम कौम भांवी ½ अमरसिंह व रुगनाथसिंह पिसरान गुमानसिंह ½ हिस्सा साकिन देह खातेदार म्युटेशन संख्या 863 रहन युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक बावडी म्युटेशन संख्या 926 दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. इसी जमाबंदी संवत 2041-2044 में खाता संख्या 344 में आराजी खसरा संख्या 516, 526, 611, 612 व 613 बंशीराम, कोजाराम पिसरान दुर्गाराम ⅓ गंगाराम पुत्र किस्तुरराम ⅓ ढगलाराम, बाबुराम, गोपालराम पि .. (अपठनीय) दर्ज है।
5. यही स्थिति आगे के राजस्व रिकार्ड के संबंध में बनती है।
6. मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी मात्र सरसरी तौर पर पारित कर दिये। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, न ही इस तथ्य की ओर ध्यान दिया गया कि पक्षकारान के मध्य कोई लिखित राजीनामा ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में वादी-रेस्पो. संख्या एक न्यायालय के समक्ष सद्भावनापूर्वक समस्त तथ्यों को प्रकट करते हुए उपस्थित नहीं हुआ है, इस कारण उसका दावा चलने योग्य ही नहीं पाया जाता है, अतः वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रस्तुत मूल वाद एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 जून 2018 खारिज किये जाते है। डिकी पर्चा जारी किये जावे। अपील अपीलाण्ट्स तदनुसार स्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 25/7/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट	ब ना म	रेस्पोडेण्ट
श्रवणराम पुत्र नाथुराम मेघवाल निवासी ग्राम नेतडा, तहसील बावडी जिला जोधपुर		1. कालूराम पुत्र गेपरराम मेघवाल 2. बंशीलाल पुत्र दुर्गाराम के कायममुकामान-- a. पांचाराम पुत्र बंशीलाल मेघवाल b. रेखा पुत्री बंशीलाल मेघवाल c. किरण पुत्री बंशीलाल मेघवाल d. धापु पुत्री बंशीलाल मेघवाल e. मूमल पत्नी बंशीलाल मेघवाल 3. अणची पत्नी दुर्गाराम मेघवाल 4. गोबरराम पुत्र गंगाराम मेघवाल 5. नरसिंगाराम पुत्र ढगलाराम मेघवाल 6. बीरमाराम पुत्र ढगलाराम मेघवाल 7. गणेशराम पुत्र ढगलाराम मेघवाल 8. चुकीदेवी पत्नी ढगलाराम मेघवाल 9. हीरा पुत्री ढगलाराम पत्नी जगदीश मेघवाल 10. धापू पुत्री ढगलाराम मेघवाल 11. पूजा पुत्री ढगलाराम मेघवाल 12. बाबूराम पुत्र रामुराम मेघवाल 13. गोपाराम पुत्र रामुराम मेघवाल निवासीगण ग्राम नेतडा, तहसील बावडी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर बावडी दिनांक 25 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 322/2010 कालूराम बनाम बंशीलाल इत्यादि

-----0 -----

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 25 फरवरी 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ड्स, श्री भूपतसिंह जोधा, श्री ओ.पी. विश्नोई, श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्तागण मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में वादी-रेस्पो. संख्या एक न्यायालय

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----/----) रूपये ---------- अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का ----/---- अदा करें।
बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 25 फरवरी 2020 को जारी किया गया।

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	-

25/2/2020
(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर